

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

हरि पारमेश

बनाम

शिवपाल


केस्य मुकदमा

दफ्तर

व.

सन्

25/10/2011

तारीख हुकम	हुकम वा कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
13-10-22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय कोर्ट में उप/सदर जज के तालीम अधिकारी कोरे/मद कोरे से कसम/मोटिव में है। कसम का जजिफ कोरे ही है। दिनांक 12-1-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	
12-1-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय कोर्ट में उप/सदर जज के तालीम अधिकारी कोरे/मद कोरे से कसम/मोटिव में है। कसम का जजिफ कोरे ही है। दिनांक 22-3-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	
15.05.2023	<p>26-4-23</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto; text-align: center; padding: 5px;"> <p>15-05-23</p> <p>[Signature]</p> </div> <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादी व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादी एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> <p>[Signature]</p> <p>दिलीप सिंह</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p> </p>	<div style="text-align: right;">  </div>